न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए संख्या/2003/2152/चितोड़गढ

1. गणेश पुत्र गंगाराम (मृतक) जरिये वारिसान
1/1 रतन दत्तक पुत्र गणेश जाति बलाई निवासीगण ग्राम सुन्दरी तहसील गंगरार जिला चितोड़गढ।

–अपीलांट

–बनाम–

1– राधेश्याम पुत्र बरदीचन्द
2– घनश्याम पुत्र बरदीचन्द
जाति दर्जी निवासीगण ग्राम सुन्दरी तहसील गंगरार जिला चितोड़गढ।

–असल रेस्पोडेन्ट्स

3– डालू पुत्र श्री गंगाराम
4– तुलछा पुत्र श्री गंगाराम मृतक जरिये वारिसानः–
4/1 देऊ बाई पुत्री स्व0 तुलछा
समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम सुन्दरी तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ।

– तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ
डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थितः–
1– श्री एस. पी. सिंह, अभिभाषक अपीलांट्स
2– श्री रोहित सोनी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

–निर्णय–

दिनांकः– 26–02–2026

1– अपीलांट ने यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ के निर्णय दिनांक 06–03–2003 जिसके द्वारा अपीलांट की अपील को खारिज किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोर्डेट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, गंगरार के समक्ष वादग्रस्त भूमि वाके खमेरा पटवार हल्का खमेरा तहसील घाटोल के खसरा नम्बर 991/1946

रकबा 0.45 हैक्टेयर में से 0.19 है0 वादी संख्या–01 को एवं 0.23 है0 वादी संख्या 02 को आवंटित भूमि के बाबत् वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अन्तर्गत धारा 188 व 209 पेश करते हुए वादग्रस्त आराजी जैर के बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गयी। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 08.03.2002 के माध्यम से वादी/रेस्पोडेंट्स का वादपत्र स्वीकार किया गया। प्रतिवादी/अपीलांट्स द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ के समक्ष अपील पेश किये जाने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पुष्टि करते हुए प्रतिवादी/अपीलांट्स की अपील को खारिज किया गया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलांट्स द्वारा उक्त द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर करते हुए रेस्पोडेन्ट्स को तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम सुन्दरी तहसील गंगरार में स्थित विवादित भूमि साबिक खसरा नम्बर 991 रकबा 0.98 हैक्टेयर बड़ा रकबा था जिसके हाल खसरा नम्बर 265/4 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा को अपीलांट गणेश एवं तरतीबी रेस्पो0 ने अन्य खसरा नम्बर 246/1, 265/5 एवं 266/1 कुल रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.01.1977 के द्वारा क्रय किया गया है तथा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में अड़ौस पड़ौस के खातेदारान का उल्लेख किया है, जिस पर अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पो0 खरीदने की दिनांक से लेकर आज दिनांक तक मौके पर खातेदार की हैसियत से काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण असल रेस्पोडेंट्स का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है, इसलिये उनके द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 कब्जा नहीं होने के कारण कानूनन संधारण योग्य ही नहीं था। वादीगण/रेस्पार्डेंट्स ने अपने बयानों पीडब्यू–01 एवं पीडब्यू–02 में विवादित भूमि साबिक खसरा नम्बर 991 रकबा 0.98 हैक्टेयर पर कब्जा काश्त स्पष्टतया प्रतिवादी/अपीलांट्स का मौके पर माना है तथा उनका कब्जा एक बीघा जमीन पर ही माना है। वादीगण/रेस्पोडेंट्स का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त दावा दायरी के समय नहीं होने के कारण धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत वादपत्र कानूनन संधारण योग्य नहीं है। विवादित भूमि साबिक खसरा 991 के अमरा के लड़के भैरू एवं भोमा, जो कि सहखातेदार काश्तकार दर्ज हैं उनको फरीक मुकदमा नहीं बनाया गया हैं, जबकि वे आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादी/अपीलांट ने अपनी खरीदशुदा

भूमि पर कुंए का निर्माण करवाया है, जिसको वादीगण/रेस्पोडेंट ने अपने साक्ष्य पीडब्लू–01 एवं पीडब्यू–02 से स्वीकार किया है। इससे साबित हो जाता है कि आराजी मुतनाजा पर दावा दायरी के समय वादीगण का कब्जा एवं काश्त नहीं था इस कारण स्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र संधारण योग्य ही नहीं था। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा बिना दस्तावेजी साक्ष्यों व तथ्यों की जांच किये वादपत्र को डिक्री कर दिया गया, जिसकी पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से की गई। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधि विपरीत जाकर निर्णय पारित करने में विधि एवं तथ्य संबंधी त्रुटि कारित की है। जिसकी विधि अनुमति प्रदान नहीं करती है। लिहाजा अपीलांट्स की द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाकर दावे को खारिज किया जावे।

5– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र, जवाबदावा एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर दादरसी सहित कुल 5 तनकीयात् कायम करते हुए प्रत्येक तनकी का विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए वादीगण के वादपत्र को डिक्री किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री विधिक प्रावधानों के अनुसरण में पारित की गयी है। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलांट्स द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश करने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों की जांच करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पुष्टि करते हुए इसे विधिसम्मत मानते हुए अपीलांट्स की अपील खारिज की गई है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्य एवं दस्तावेजी/मौखिक साक्ष्यों के अनुसरण में समवर्ती निष्कर्ष पारित किये गये हैं। लिहाजा अपीलांट्स प्रस्तुत द्वितीय अपील के माध्यम से भी किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखे जावे।

6– विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन/अवलोकन किया गया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अध्ययन एवं परिशीलन किया।

7– दावे में वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट्स ने खसरा नम्बर 991/1946 रकबा 0.45 हैक्टर हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की रिलीफ चाही है। प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य अनुसार खसरा नम्बर 991/1946 रकबा 0.45 हैक्टर रिकॉर्ड में राजकीय भूमि होकर इसमें से वर्ष 1990 में 0.19 हैक्टर वादी

संख्या 1 राधेश्याम व 0.23 हैक्टर वादी संख्या 2 घनश्याम को आवंटित हुई, जिसकी अनुपालना में वादीगण के पक्ष में नामान्तकरण स्वीकृत किया जाकर भूमि उनकी गैर खातेदारी में दर्ज हुई। पृथक खसरा नम्बर 991 रकबा 0.53 हैक्टर प्रतिवादीगण/अपीलान्ट्स की खातेदारी में दर्ज होकर प्रतिवादीगण के जवाबदावे में खसरा नम्बर 991 रकबा 0.98 हैक्टर होने व इस पूरी भूमि पर उनका विधिसम्मत अधिकार बनने की कोई प्लीडिंग नहीं है। उनके द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र से वादीगण को आवंटित भूमि वर्ष 1977 में क्रय करने का आधार पुष्ट एवं साबित नहीं है। पंजीकृत विक्रय पत्र में खसरा नम्बर, रकबा आदि से विवादित खसरा नम्बर 991/1946 पर उनके क्लेम की ताईद नहीं होती है। वादीगण को नियमानुसार भूमि आवंटन किया गया है तथा अपीलान्ट्स का इस भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त न होकर उनका काबिज होने के समर्थन में दावे में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत न होने से अपीलान्ट्स का भूमि पर काबिज काश्त का क्लेम बलहीन है। विचारण न्यायालय द्वारा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों की स्पष्ट विवेचना करते हुए सभी विवाद्यकों को गुणावगुण पर निर्णीत कर वादीगण के दावे को डिक्री किया गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी दोनों पक्षों के पक्ष, तथ्यों एवं साक्ष्यों की सुस्पष्ट विवेचन द्वारा अपील खारिज की गई है। मातहत दोनों न्यायालयों ने समवर्ती निष्कर्ष द्वारा प्रकरण निर्णीत किया गया है जिसमें हम द्वितीय अपील में कोई हस्तक्षेप योग्य तथ्यपरक, विधिक तथा क्षैत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि होना नहीं मानते हैं। हमारी सुविचारित मत में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय उचित होकर अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

8– विवेचन अनुसार निर्णय स्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ तथा सहायक कलक्टर, गंगरार का निर्णय एवं डिक्री क्रमशः दिनांक 06–3–2003 व दिनांक 08–03–2002 को यथावत रखे जाते हैं।

पत्रावली फैसल शुमार रहे। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(डॉ0 शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य